"प्रदर्श-अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **चन्दनपुर** ग्राम के खसरा नंबर216(0.00003हे0),176(0.0002हे0),125(0.415हे0),126(0.00001हे0),131(0.268हे0),141(0.109 हे0),142(0.22हे0) कुल **राजस्व वन भूमि 1.01224** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **चन्दनपुर** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. **P3408(1.244हे0),P3420(4.001हे0)** स्थित **5.245** हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **10/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा0गंज

वन परिक्षेत्राधिकारी
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा0गंज

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा0गंज

200

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विवर्तन हेतु **बुलगांव** ग्राम के खसरा नंबर 4(0.002हे0), 375(0.008हे0) कुल **राजस्व वन भूमि 0.010** हे0 के विवर्तन हेतु ग्राम **बुलगांव** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. P3417(1.651हे0) स्थित **1.651** हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **07/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज

वन परिक्षेत्राधिकारी
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **नवापारा** ग्राम के कुल **राजस्व वन भूमि** 0.00 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **नवापारा** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. P3423(0.104हे0) स्थित 0.104 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **04/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का परंपरागत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरिक्षण के आधार पार यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

तहसीलदार
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
जिला–बलरामपुर रा.गंज

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **रामानुजगंज** ग्राम के खसरा नंबर 6/2(2.662हे0),78/1(3.315हे0),89/1(1.474हे0),1351/1(1.432हे0),1352(0.283हे0) **राजस्व वन भूमि 9.166** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **रामानुजगंज** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. PF3436(1.632हे0),PF3435(0.372हे0) स्थित 2.004 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **12/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पार यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार तहसीलदार रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज	वन परिक्षेत्राधिकारी रामानुजगंज वन परिक्षेत्राधिकारी जिला-बलरामपुर-रा.गंज	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **पुरानडीह/आरागाही** ग्राम के खसरा नंबर 281(0.001हे0), 280(0.0004हे0) कुल **राजस्व वन भूमि 0.0014** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **पुरानडीह/आरागाही** स्थित आरक्षित/**संरक्षित** वन भूमि कक्ष क्र. P3422(2.061हे0),P3422(2.087हे0) स्थित **4.148** हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **01/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज

वन परिक्षेत्राधिकारी
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज(छ.ग.)

213

"प्रदर्श–अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक **343(110.000किमी.)** चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु **कमलपुर** ग्राम के खसरा नंबर 4(0.011हे0),5(0.013हे0),81(0.106हे0),86(0.049हे0) कुल **राजस्व वन भूमि 0.179** हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम **कमलपुर** स्थित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि कक्ष क्र. 00 स्थित 00 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक **02/12/2020** को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विषेश रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचातलित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार	वन परिक्षेत्राधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रामानुजगंज	रामानुजगंज	रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज	जिला–बलरामपुर–रा.गंज

217

...तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन "प्रदर्श–अ"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343(110.000किमी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वन भूमि (छोटे / बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानी की प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल तातापानी ग्राम के कूल राजस्व वन भूमि 0.037 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम तातापानी स्थित आरक्षित / संरक्षित वन भूमि कक्षक्र 3342 (2.551),3395 (4.251),3399 (3.804),3403 (2.981),3398 (2.374),3340 (0.800),3392 (3.451),3375 (2.944),3391 (5.249),421B (0.735) कुल वन भूमि 29.14 हे0 भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 09 / 03 / 2021 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरिक्षण किया ।

3. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 परिपेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य परंपारिक गतिविधि का निशपादन कर कब्जा नहीं पाया गया। तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया।

4. कण्डिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैरवानिकी परियोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता हैं।

5. स्थल निरिक्षक के आधार पार यह प्रमाणित किया जाता है कि विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत् नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से सरंक्षित रखा जाना है।

6. विवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचातलित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

तहसीलदार बलरामपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज	वन परिक्षेत्राधिकारी बलरामपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलरामपुर जिला–बलरामपुर–रा.गंज

[illegible]	परिक्षेत्र सहायक बलरामपुर	संयुक्त वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वन मंडल–बलरामपुर

225

73

"प्रदर्श-अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु फुल किशुनगर ग्राम के कुल राजस्व वनभूमि 0.208 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम किशुनगर स्थित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक ....×........ स्थित ....×........ हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 18/01/2022 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

18/01/22
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-02, सरगुजा (छ.ग.)

वनपरिक्षेत्राधिकारी
18/01/2022
वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
जिला - सरगुजा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

230
78

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

"प्रदर्श-अ"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल मेण्ड्राखुर्द ग्राम के कुल राजस्व वनभूमि 1.567 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम मेण्ड्राखुर्द स्थित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 2535 स्थित 2.442 हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 18/01/22 ....को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

तहसीलदार 18/01/22
नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-02, सरगुजा (छ.ग.)

वनपरिक्षेत्राधिकारी
18/01/2022
वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अधिकारी (रा0)
जिला - सरगुजा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

235 (83)

"प्रदर्श-अ"

वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 343 (110.000 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) पर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु कुल ग्राम के कुल राजस्व वनभूमि 2.216 हे0 के व्यपवर्तन हेतु ग्राम........x........स्थित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक........x........स्थित........x........हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किए जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 28.01.22 / 28.01.2022 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया।

3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।

4. कंडिका 03 में उल्लेखित स्थिति में परिप्रेक्ष्य गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

5. स्थल निरीक्षक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन नियासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

6. व्यपवर्तन कि लिए आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

28/01/22
तहसीलदार / नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-02, सरगुजा(छ.ग.)

28/01/2022
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अम्बिकापुर
जिला - सरगुजा (छ.ग.)